



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240113  
CG-DL-E-09112022-240113

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4972]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944

No. 4972]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

**का.आ. 5191(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा (1956 का 48) (जिसे इसमें, इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, संतुष्ट होने के बाद, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के मजुदा चेनेज कि.मि. 273 +000 (बांकुडा सीमांत, दामोदर नदी के उपर मेझिया सेतु) से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के कि.मि.478 +180 तक रानीगंज उपमार्ग का निर्माण के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वह अनउपलब्ध भूमि आवश्यक है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसूची में दिया गया है, इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी, जिला पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल, को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई तथा जाँच करने के पश्चात्, (यदि कोई हो,) जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों की अनुमोदन या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के मजुदा चेनेज कि.मि. 273 +000 (बांकुड़ा सीमांत, दामोदर नदी के उपर मेझिया सेतु) से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के कि.मि.478 +180 तक रानीगंज उपमार्ग का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल		जिले का नाम: पश्चिम बर्धमान			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रानीगंज					
गांव का नाम: नपुर (जे.एल.नं.-31)					
1	LR 3	निजी	बाईद	0.0790001(एकर)	0.0319709
कुल				0.0790	0.0320

[फा. सं. RW/NH/12012/01/2017/WB-KOL/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

**S.O. 5191(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, consisting a missing plot, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for "Construction of Raniganj Bypass of NH-60 from existing Km 273+000 (Bankura border, Mejhia Bridge over Damodar river) to Km 478+180 of NH-2 in the district of Paschim Bardhaman, West Bengal" hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional District Magistrate, Paschim Bardhaman, West Bengal, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for  
 “Construction of Raniganj Bypass of NH-60 from existing Km. 273+000 (Bankura border, Mejhia Bridge over  
 Damodar river) to Km. 478+180 of NH-2 in the district of Paschim Bardhaman, West Bengal”.

State: WEST BENGAL		District: Paschim Bardhaman			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Raniganj					
Village: Napur (J.L. No.- 31)					
1	LR 3	Private	Baid	0.0790001(Acre )	0.0319709
<b>Total</b>				<b>0.0790</b>	<b>0.0320</b>

[F. No. RW/NH/12012/01/2017/WB-KOL/3A]

RAJESH GUPTA, Director